राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्तपोषित खाते, जो गैर निष्पादित आस्तियों/अवधिपार ऋणों की श्रेणी में वर्गीकृत हो गये हैं, की वसूली हेतु कृषि/अकृषि ऋण एकमुश्त समझौता योजना–2016

केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक के संसाधन, जो अवधिपार/एनपीए ऋण खातों में अवरूद्ध है, जिसकी वजह से फण्डस पुनः परिचालन में नहीं आ पा रहे हैं, अतः ऐसे ऋण खातों में अवरूद्ध फण्डस को एकमुश्त समझौता योजना के दायरे में लाकर वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने के उद्देश्य से यह योजना अंगीकार की जा रही है। वस्तुतः योजना में अधिक से अधिक बाकीदारों को शामिल करने तथा योजना प्रावधानों को अधिक व्यवहारिक एवं परिणामोन्मुखी बनाने के दृष्टिकोण से पूर्ववर्ती योजना के प्रावधानों में सरलीकरण/शिथिलता प्रदान की गई है ताकि अधिक से अधिक ऋण प्रकरणों का योजनान्तर्गत निस्तारण संभव हो सके।

योजना के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं–

(1) उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैः–

1. बैंक द्वारा दिये गये अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, जो कि पूर्व में किसी न किसी कारण से एकमुश्त समझौता योजनाओं का लाभ नहीं ले पाये हैं, से ऋण की वसूली कर राशि को पुनः साख चक्र में लाना।
2. गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाना ताकि बैंकों को परिचालनात्मक लाभ में से समुचित प्रावधान करने की आवश्यकताओं से छुटकारा मिल सके।
3. ऋण की वसूली पर होने वाले व्यय को कम करने के साथ–साथ इस कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को बैंकिंग कार्य में नियोजित कर संस्थाओं की कार्य दक्षता में वृद्धि लाना।
4. ऐसे ऋणी जो प्राकृतिक आपदाओं/औद्योगिक मंदी एवं अन्य विषम परिस्थितियोंवश ऋण चुकाने में दोषी रहे हैं, उन्हें राहत देते हुए ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना ताकि वे पुनः सहकारी संस्थाओं से जुड सकें।
5. ऐसे ऋणी, जिनकी अचल सम्पत्ति ऋण की जमानतस्वरूप रहन रखी हुई है एवं ऋण समय पर नहीं चुका पाने के कारण अचल सम्पत्ति पर डिक्री जारी हो चुकी है, इस प्रकार के ऋणों को इस योजना में सम्मिलित करते हुए उन्हें पुनः अपनी सम्पत्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के साथ साथ वसूली से सम्बन्धित कानूनी मामलों में कमी लाना।
6. ऐसे ऋणी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या ऋणी का कोई काफी लम्बे समय से कोई अता–पता नहीं है, ऐसे ऋणियों के संदर्भ में उनके वारिस/गारण्टरों को बैंक ऋण चुकाने का अवसर प्रदान करना।
7. ऐसे ऋण, जिनमें सृजित सम्पत्तियां/सिक्योरिटी स्वरूप रखी गयी सम्पत्ति का ह्रास हो गया है या वे आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं है, में राहत देते हुए ऋण की वसूली सुनिश्चित करना।

संयुक्त शासन सचिव
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

(2) योजना का कार्यक्षेत्र

योजना का कार्यक्षेत्र टोंक केन्द्रीय सहकारी बैंक को छोडकर जिसके लिये पूर्व में अलग से ऋण राहत योजना अनुमोदित की हुई है, राज्य की शेष सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक की शाखाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों के संदर्भ में प्रभावी होगा।

(3) योजना की अवधि

योजना की प्रवर्तन अवधि दिनांक 01.9.2016 से 31.03.2017 तक रहेगी।

(4) योजनान्तर्गत पात्रता निर्धारण :–

अ) सभी प्रकार के कृषि/अकृषि ऋणों की गैर निष्पादित आस्तियां, चाहे उनकी प्रकृति किसी भी व्यवसाय, गतिविधियां/उद्देश्य से सम्बन्धित हो, दिनांक 31.3.2016 को अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत हो, योजना के अन्तर्गत एकमुश्त समझौता हेतु पात्र समझा जायेंगे अर्थात् ऐसे ऋण प्रकरण जो कि 01.4.2013 को अवधिपार हो चुके थे तथा उसके बाद नियमित नहीं हुए, ऐसे ऋण प्रकरण योजनान्तर्गत निस्तारण हेतु पात्र समझे जायेंगे।

ब) पैक्स/लैम्प्स के द्वारा वितरित किये गये कृषि/अकृषि ऋण, जो 31.3.2016 को संदिग्ध्य या अशोध्य श्रेणी में वर्गीकृत हो चुके हैं, उन ऋणों पर भी इस योजना के प्रावधान लागू होगें।

नोट–

1. योजना के तहत व्यक्तिगत ऋणियों का तात्पर्य व्यक्ति विशेष, संयुक्त हिन्दु परिवार, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी (प्रा. लि. कं0) की तरफ बकाया से है तथा संस्थागत ऋणियों में सहकारी संस्थाओं तथा अन्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत संस्थाओं को सम्मिलित किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत अपात्र ऋण प्रकरण

(अ) गबन एवं दुरूपयोग के मामले, जिनमें राजस्थान सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है अर्थात् मामला पंजीकृत हो गया है या निर्णित हो गया है, या विचाराधीन है।

(ब) ऐसे ऋण जो सहकारी संस्थाओं/बैंक निदेशकों/कर्मचारियों द्वारा लिये ये हो, को योजनान्तर्गत मान्य नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार बैंक निदेशकों/कर्मचारियों की गारन्टी पर दिये गये ऋण, जिनमें उनका व्यक्तिगत प्रत्यक्षतः/अप्रत्यक्षतः हित परिलक्षित होता हो, रक्त संबंधियों को गारन्टी पर उपलब्ध करवाये गये ऋण आदि को भी योजनान्तर्गत मान्य नहीं किया जायेगा।

परन्तुकः

सहकारी संस्थाओं/बैक निदेशकों/कर्मचारियों की गारन्टी पर रक्त संबंधियों के इतर अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध करवाये गये ऋण जिसमें निदेशक/कर्मचारी (चाहे सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो गया हो) का कोई

सचिव

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष हित/स्वार्थ प्रकट नहीं होता हो, तो गंहन परीक्षण एवं संतुष्टि उपरान्त ऐसे ऋण प्रकरण को योजनान्तर्गत पात्र माना जा सकता है।

(स) इसके अतिरिक्त ऐसे अवधिपार ऋणी, जिन्होनें किसी न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा था तथा कोई राशि जमा नहीं कराई है एवं अब इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो उसे योजना अंतर्गत शामिल किया जा सकता है परंतु शर्त यह है कि उसे न्यायालय से वाद को वापिस लेना होगा।

(6) <u>योजनान्तर्गत पात्रता के लिये वसूली प्रयासों की स्थिति</u>

योजनान्तर्गत किसी प्रकरण को शामिल करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक/समिति द्वारा वसूली के सामान्य प्रयासों से ऋण प्रकरण में वसूली संभव नहीं हो पाई है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऋणी को समय-समय पर तकाजा पत्रों, व्यक्तिगत संपर्कों के अलावा वसूली हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अंतर्गत लीगल कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हो तथा प्रक्रियाधीन हो। प्रकरण के विचारण हेतु प्रकरण को ग्राह्य करने से पूर्व राहत कमेटी द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित प्रकरण में धारा 99 एवं 100 की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है एवं प्रक्रियाधीन है। इसी दौरान ऋणी को समझाईस का मौका दिया जाने के बतौर एकमुश्त समझौते का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाना होगा। अगर ऋणी द्वारा इस अवसर का लाभ नहीं उठाया जाता है अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की लीगल कार्यवाही बदस्तूर जारी रहेगी।

(7) <u>योजनान्तर्गत राहत का निर्धारण (सैटलमेंट फार्मूला- राशि एवं कट ऑफ डेट)</u>

अ) ऐसे ऋण, जो दिनांक 31.03.2016 को संदिग्ध एवं अशोध्य श्रेणी में वर्गीकृत हो चुके हों, ऐसे ऋणियों से इस योजना के अंतर्गत ऋण या उसके किसी भाग के अवधिपार होने की दिनांक से ऋण राशि चुकाने की दिनांक तक स्वीकृत पत्र में अंकित ब्याज दर या 10 प्रतिशत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण दर से ब्याज वसूल किया जावेगा।

ब) ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें वितरित ऋणों के संदर्भ में बैंकों के स्तर पर ऋणों की सुरक्षा बतौर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं है तथा ऋण से सृजित कोई प्राईम सिक्योरिटी भी उपलब्ध नहीं है, अगर कहीं उपलब्ध है तो उसकी कोई रिलाईजेबल वेल्यू नहीं है, तो ऐसे कृषि/अकृषि ऋण प्रकरणों में ऋण खाते में प्रथम अवधिपार की तिथि को बकाया मूल + मूल के बराबर ब्याज या 10 प्रतिशत साधारण ब्याज दर से गणना से जो राशि आवे, दोनों में से जो कम हो, को वसूल कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है।

स) बीमा, वसूली खर्च खाते में नामें लिखी गई राशि अलग से वसूल की जायेगी।

(8) <u>योजनान्तर्गत एकमुश्त समझौता सम्पन्न राशि का भुगतान</u> :-

उपरोक्त वर्णित मापदण्ड (अ) एवं (ब) के अनुसार राशि जमा कराये जाने पर समझौता निष्पादित कर आवश्यक राहत सम्बन्धित को दी जावेगी। इस योजना के तहत ऋणी राहत का पात्र तभी होगा जब उसके द्वारा एकमुश्त समझौता अंतर्गत देय राशि का पूरा भुगतान एकमुश्त समझौता तिथि को या 31.03.2016 को खाते में बकाया राशि की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता आवेदन पत्र के साथ जमा करा दी हो। समझौता अंतर्गत देय बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या अधिकतम

तीन बराबर किश्तों में दिनांक 31.03.2017 से पूर्व जमां करवाना आवश्यक होगा। इस तिथि के बाद इस योजना में राहत देय नहीं होगी। ऐसे ऋण प्रकरण जिनमें ऋणी द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक एकमुश्त समझौता राशि का भुगतान कर दिया गया हो परंतु किन्हीं कारणवश समझौता कमेटी की बैठक दिनांक 31.03.2017 से पूर्व संपन्न नहीं हो पाती तो ऐसे ऋण प्रकरणों के संबंध में दिनांक 31.03.2017 के बाद भी बैठक आयोजित की जाकर ऐसे ऋण प्रकरणों के निस्तारण का निर्णय लिया जा सकता है परंतु दिनांक 30.04.2017 के बाद न तो कोई ऐसी बैठक का आयोजन किया जायेगा और न ही कोई निर्णय मान्य होगा।

यदि कोई पात्र ऋणी राहत कमेटी के निर्णयानुसार समझौता अंतर्गत देय समस्त राशि का चुकारा 31 मार्च, 2017 से पूर्व नहीं कर पाता है तो उसकी वास्तविक असमर्थता/कारणों को मध्यनजर रखते हुए समझौता कमेटी उसके निवेदन पर आगामी तीन माह का ग्रेस पीरियड प्रदान करने पर अपने स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकती है बशर्ते कि पात्र ऋणी ने समझौता राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान 31 मार्च, 2017 से पूर्व कर दिया हो। 30.6.2017 के बाद किसी प्रकार का भुगतान स्थगन राहत कमेटी द्वारा निर्णीत नहीं किया जा सकेगा। 01.4.2014 से इस प्रकार स्थगित की गई राशि पर जब तक कि स्थगित राशि का वास्तविक भुगतान न हो जावे, उस तिथि तक ऋणी को स्थगित बकाया राशि पर 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऋण खाते की सभी किश्तें ड्यू नहीं हो तो जो किश्त ड्यू हो गयी तथा अवधिपार बकाया चल रही है, ऐसे ऋणियों से अवधिपार किश्तों की वसूली इस योजनान्तर्गत की जायेगी, दूसरे शब्दों में जो किश्त ड्यू नहीं हुई है, वे बकाया रखी जा सकती है। तत्सम्बन्ध में ऋणी से एक अण्डरटेकिंग ली जावेगी कि भविष्य में उसे इस खाते में किसी प्रकार की राहत के लिये पात्र नहीं माना जावेगा एवं शेष बची राशि का भुगतान उसके द्वारा नियमित किया जायेगा तथा पुनः दोष किये जाने पर दी गयी उक्त राहत की राशि को राहत योग्य नहीं मानते हुए वसूल किया जायेगा।

(9) <u>योजनान्तर्गत राहत स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :–</u>

योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निम्न समिति अधिकृत होगी:–

<u>शीर्ष सहकारी बैंक स्तर पर:–</u>

1. प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2. संयुक्त रजिस्ट्रार, बैंकिंग, सह0 समितियां	सदस्य
3. उप–महाप्रबंधक (ले. एवं वि.)	सदस्य
4. सहायक महाप्रबंधक (बीसीडी)	सदस्य
5. शाखा प्रबंधक, सम्बन्धित शाखा	सदस्य सचिव

<u>केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर पर:–</u>

1. प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2. प्रतिनिधि, शीर्ष सह0 बैंक	सदस्य
3. उप/सहा0 रजिस्ट्रार, सम्बन्धित यूनिट	सदस्य
4. शाखा प्रबंधक, के0 सह0 बैंक, सम्बन्धित शाखा	सदस्य
5. प्र0 कार्यालय का ऋण अधिकारी /	

टीएमईसैल अधिकारी/प्रबंधक, विकास · सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति द्वारा आयोजित बैठक में समस्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पैक्स/ लैम्प्स के दावों का निस्तारण केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर की समिति द्वारा किया जावेगा जिसमें सम्बन्धित पैक्स के व्यवस्थापक एवं अध्यक्ष को आमंत्रित किया जावेगा।

(10) योजनान्तर्गत राहत राशि का समायोजन :–

10.1 योजनान्तर्गत पैक्स/लैम्प्स/केन्द्रीय सहकारी बैंक/शीर्ष सहकारी बैंक द्वारा सीधे अग्रिम ऋणों से सम्बन्धित मामलों में दी गई राहत की राशि का भार संबंधित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। इस संबंध में शीर्ष बैंक/राज्य सरकार से कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो सकेगी।

10.2 यदि ऐसा ऋण कन्सोर्टियम के अंतर्गत वितरित है तो बकाया ऋण के अनुपात में राहत की राशि का भार शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वहन किया जायेगा एवं ऐसे खातों के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक स्तर की समिति की सिफारिश पश्चात् शीर्ष बैंक स्तर की समिति अधिकृत होगी, जिसमें सम्बन्धित बैंक के प्रबंध निदेशक या उसके प्रतिनिधि भी उपस्थित होगें एवम् इसी समिति द्वारा राहत राशि की गणना की स्वीकृति प्रदान करते हुये राहत राशि का भार भी बैंकों में विभाजित किया जावेगा।

(11) अन्य बिन्दुः–

1. पैक्स मैनेजर को इन्सेन्टिव– योजनान्तर्गत अधिकाधिक ऋण प्रकरणों का निस्तारण हो सके एवं वसूली संभव हो सके इस उद्देश्य से पैक्स ऋण प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में पैक्स मैनेजर को प्रोत्साहन स्वरूप योजना अंतर्गत निस्तारित करवाये गये प्रति ऋण प्रकरण में की गई वास्तविक वसूली (मूल+ब्याज) की एक प्रतिशत राशि प्रोत्साहन स्वरूप संबंधित पैक्स मैनेजर को प्रदत्त की जावेगी।
2. इसके अलावा बैंक के ऐसे ऋण प्रकरण जो कि पैक्स मेम्बर्स में बकाया है एवं उसमें वसूली में भी पैक्स मैनजर द्वारा सक्रिय सहयोग किया जाता है तो ऐसे ऋण प्रकरणों में कुल वसूली (मूल+ब्याज) की एक प्रतिशत (1%) राशि पैक्स मैनेजर को प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी।
3. पैक्स मैनेजर को पैक्स के ऋण प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में प्रोत्साहन स्वरूप जो राशि दी जायेगी वह संबंधित पैक्स द्वारा वहन की जायेगी जबकि बैंक शाखाओं की वसूली के संबंध में दिये गये प्रोत्साहन की राशि संबंधित बैंक/शाखा द्वारा वहन की जायेगी। दोनों ही प्रकार के ऋण प्रकरणों के निस्तारण के फलस्वरूप पैक्स मैनेजर को भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि संबंधित बैंक के स्तर से प्रमाणन किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की जा सकेगी।
4. योजना की प्रभावी मोनेटरिंग सुनिश्चित करने के लिए योजना प्रगति की पाक्षिक रिपोर्ट के अलावा योजना अंतर्गत पात्र व्यक्ति द्वारा योजना का लाभ उठाने संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप ऑन लाईन किया जावे जिसमें ऋणी के ऋण खाते की विगत के साथ ऋणी का मोबाईल नम्बर भी दर्शाया जावे। ऋण प्रकरण में बैंक स्तर पर ऋणी से वसूली हेतु किये गये प्रयासों की विगत जिसमें धारा 99 एवं 100 की कार्यवाही की तिथि एवं उसके परिणामों की जानकारी भी हो, की विगत भी संबंधित आवेदन फार्म पर बैंक स्तर से उल्लेखित की जावे।
5. इस योजना के तहत निष्पादित समझौते की सहमति स्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था से आवेदन पत्र एवं सहमति पत्र लेना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख

करना आवश्यक होगा कि यदि निष्पादित समझौते के तहत ऋणी द्वारा निर्धारित अवधि में पूरी राशि मय ब्याज जमा नहीं कराई जाती है तो ऐसे मामलों में समझौता रद्द समझा जाकर ऋणी द्वारा समझौते के समय जमा कराई गई राशि उसके ऋण खाते में सामान्य वसूली के रूप में जमा मानी जायेगी एवं उसे किसी प्रकार की राहत देय नहीं होगी।

6. इस योजना के तहत दी जाने वाली राहत जो सम्बन्धित बैंक/समिति को वहन करनी है, राशि का समायोजन उनके स्तर पर उपलब्ध बैड एण्ड डाउटफुल डेट रिजर्व एवं ऑवरड्यू इन्टरेस्ट रिजर्व/गैर निष्पादित सम्पत्तियों के विरुद्ध किये गये प्रोविजन, जैसी भी स्थिति हो, से किया जाना है। यदि उपरोक्त मदों में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो तो शेष बची राशि का समायोजन बैंक के चालू वर्ष के लाभ हानि खाते से किया जा सकेगा।
7. यह योजना 31.03.2017 तक प्रभावी रहेगी। शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा इस योजना का व्यापक-प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि राहत चाहने वाले ऋणियों को इस योजना की जानकारी हो सके तथा सम्बन्धित शाखाओं द्वारा ऐसे सभी ऋण खातेदारों को यथासंभव पत्र द्वारा भी सूचित किया जायेगा।
8. इस योजना के प्रावधान समान रूप से बिना किसी भेदभाव के सीधे दिये गये ऋणों पर लागू होगें।
9. बैंक स्तर पर समझौते हेतु प्रार्थना पत्र योजना की स्वीकृति उपरांत बैंक प्रबंधन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अवधि के अनुसार प्रस्तुत किये जा सकेगें।
10. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति तिथि से एकमुश्त या समान त्रैमासिक किश्तों में ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि जमा कराना आवश्यक होगा।
11. इस योजना के तहत ऐसे मामले जिनमें ऋण वसूली हेतु कार्यवाही राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम अथवा अन्य न्यायालयों में चल रही है/ अपील में चल रहे हैं, को ऐसे आदेश जारी करने वाले सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी की अनुमति से सम्बन्धित ऋणी व संस्था की सहमति से योजना में शामिल किया जा सकेगा।
12. बैंक इस योजनान्तर्गत क्रियान्विति की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक रूप से अपने संचालक मण्डल/प्रशासक के समक्ष रखेगी।
13. इस योजना के अंतर्गत ऐसे ऋणी जिनकी मृत्यु 31.03.2016 से पूर्व हो चुकी है, ऐसे मामलों में अवधिपार होने की दिनांक से मृत्यु होने की तिथि तक 10 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर, जो भी कम हो, साधारण ब्याज की दर से ब्याज वसूल किया जावेगा तथा मृत्यु की दिनांक से समझौता दिनांक तक का सूद, दण्डनीय ब्याज आदि वसूल नहीं किया जावेगा। समझौता राशि निर्धारित अवधि में जमा होने पर देय राशि पर योजनानुसार ब्याज व अन्ये खर्चे वसूल नहीं किये जावेगें किन्तु ऋणी की पात्रता के निर्धारण से जुडे विभिन्न प्रावधान योजनानुसार ही होगें। मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है।
14. दिनांक 31.03.2016 की तिथि के आधार पर कोई खाता राहत हेतु पात्र होता है किन्तु छूट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व यदि ऐसा खाता नियमित हो जाता है तो उसकी पात्रता अपने आप समाप्त हो जायेगी। अतः ऐसे मामलों में राहत नहीं दी जा सकती है।
15. ऐसे ऋण जो 31.03.2016 को संदिग्ध अथवा अशोध्य श्रेणी में वर्गीकृत हो चुके हैं, ऐसे खातों में यदि कोई राशि वसूली हेतु प्राप्त होती है और वह खाता नियमित हो

जाता है तो उसे योजनान्तर्गत लाभ नहीं दिया जावेगा लेकिन ऐसे ऋण, जो दिनांक **31.03.2016** को संदिग्ध अथवा अशोध्य श्रेणी में वर्गीकृत हो चुके हैं तथा ऐसे खातों में यदि वसूली पेटे कोई राशि प्राप्त होती है और वह खाता यदि नियमित नहीं हो पाता है तो ऐसे खाते में अवधिपार होने की तिथि से ऋण चुकाने की तिथि तक 10 **प्रतिशत** या स्वीकृत ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जायेगा। ऐसे खातों में अवधिपार के पश्चात् वसूली के पेटे प्राप्त राशि को वसूली योग्य राशि में समायोजित की जायेगी अर्थात् पात्रता के अनुसार **उसे** जितनी राशि जमा कराने की आवश्यकता है, में अवधिपार तिथि के पश्चात् **प्राप्त** राशि को ऐसी आवश्यक वसूल की जाने वाली राशि का भाग माना जावेगा **किन्तु** किसी भी स्थिति में प्राप्त की गई राशि ऋणी को लोटायी नहीं जायेगी।

16. जिन ऋण प्रकरणों में मूल से बराबर ब्याज का राहत फार्मूला लागू किया जा रहा हो तो ऐसे ऋण प्रकरणों में मूल बकाया ऋण खाते में प्रथम बार डिफाल्ट होने की तिथि को माना जायेगा। यदि डिफाल्ट होने के उपरान्त ऋणी द्वारा किश्तें चुकाने पर खाता पुनः नियमित हो जाता है एवं उसके बाद पुनः डिफाल्ट होता है तो पुनः डिफाल्ट की तिथि को बकाया मूल को आधार माना जायेगा। चूंकि ऐसे ऋण प्रकरणों में ऋणी से मासिक/वार्षिक आधार पर कोई दण्डनीय ब्याज समझौता अंतर्गत वसूल नहीं किया जा रहा है अतः यदि डिफाल्ट अवधि के बाद ऋणी द्वारा कोई राशि जमा कराई जाती है तो उसे बिना किसी ब्याज के प्रतिफल देते हुए समझौता राशि में समायोजित की जायेगी। अगर किन्हीं मामलों में ऋणी द्वारा उक्त गणित की गई वसूली योग्य राशि से समय-समय पर पूर्व में जमा कराई गई राशि अधिक हो जाती है तो किसी भी स्थिति में आधिक्य राशि को ऋणी को लौटाई नहीं जायेगी एवं खाता बंद कर दिया जायेगा।
17. योजना के बारे में किसी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विवाद की स्थिति में बैंक प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
18. यदि किसी ऋणी द्वारा समझौते के अंतर्गत देय राशि से अधिक राशि खाते में जमा करा दी है तो किसी भी स्थिति में अधिक जमा कराई गई राशि लौटायी नहीं जायेगी।
19. इस योजना की क्रियान्विति से पूर्व सम्बन्धित बैंक/संस्था को अपने संचालक मण्डल/प्रशासक से प्रस्ताव पारित कराकर अंगीकार करते हुए ही योजनान्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
20. योजना के क्रियान्वयन से बैंकों के स्तर पर होने वाली आर्थिक हानि के लिए शीर्ष बैंक/राज्य सरकार से कोई अनुदान/सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

***